कृषि विकास के पाँच वर्ष

बिहार सरकार

कृषि विभाग

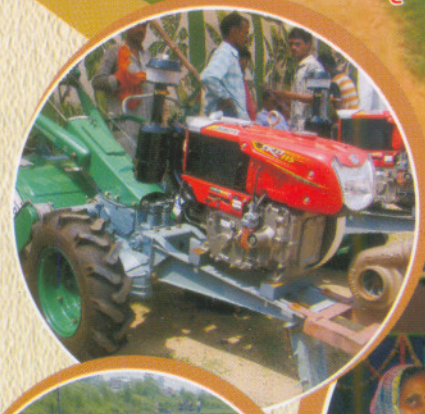

कृषि विभाग की उपलब्धियाँ-एक झलक

(खाद्यान्न उत्पादन लाख मेट्रिक टन में)

(i) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि:– वर्ष 2005–06 में 85.49 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआथा जो बढ़कर 2009–10 में 120.86 लाख मेट्रिक टन हो गया ।

(ii) योजना उद्व्यय में वृद्धि:– वर्ष 2005–06 में योजना पर व्यय (उदृव्यय) 24.95 करोड़ रूपया था जो बढ़कर पिछले वर्ष 2009–10 में 360.27 करोड़ रूपया हो गया।

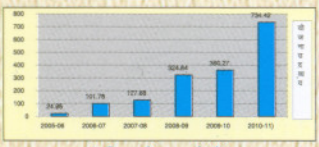

(राशि करोड़ रूपये में)

(iii) कृषि विकास दर में वृद्धि:– वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक कृषि विकास दर 5. 58 प्रतिशत रहा।

(iv) बीज विस्थापन दर में वृद्धि:– वर्ष 2005–06 में बीज विस्थापन दर धान बीज में 11 प्रतिशत एवं गेहूँ बीज में 10 प्रतिशत था जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर धान बीज में 26 प्रतिशत एवं गेहूँ बीज में 25 प्रतिशत हो गया ।

(प्रतिशत में)

(v) अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण में वृद्धि : वर्ष 2006–07 में अनुदानित दर पर 6200 क्विं0 प्रमाणित बीज का विरतण किया गया जो बढ़कर वर्ष 2009–10 में 4,83,000 क्विं0 हो गया ।

(क्वींटल में)

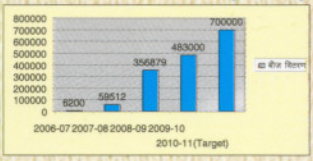

(vi) बीज उत्पादन में वृद्धि:– वर्ष 2006–07 में बीज उत्पादन 70,736 क्विं0 हुआ था जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 1,80,000 क्विं0 हो गया ।

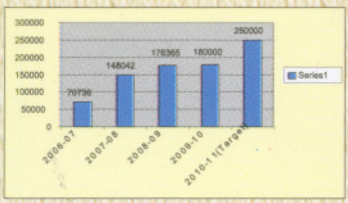

(क्वींटल में)

(vii) कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा:– वर्ष 2006–07 में कृषि यांत्रिकरण पर 883.26 लाख रूपया अनुदान के रूप में खर्च किया गया जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 9595.21 लाख रूपया हो गया ।

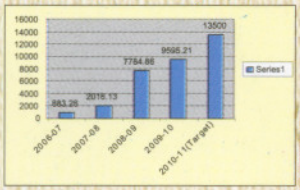

(राशि लाख रूपये में)

(viii) पावर टीलर को बढ़ावा:– वर्ष 2006–07 में 121 पावर टीलर पर अनुदान दिया जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 5352 हो गया ।

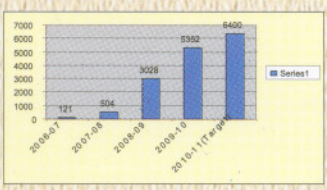

(ix) डीजल अनुदान:– वर्ष 2006–07 में 34.50 करोड़ रूपया डीजल पर कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 345.58 करोड़ रूपया हो गया ।

वर्ष	अनुदान की राशि (करोड़ रूपये में)
2006-07	34.50
2007-08	0
2008-09	63.17
2009-10	345.58

(x) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को प्राथमिकता:– वर्ष 2005–06 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मद पर कुल 52.2 लाख रूपया खर्च किया गया जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 121.31 लाख रूपया हो गया ।

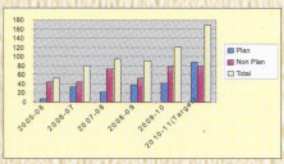

(xi) मिट्टी/ बीज/ रोपण सामग्री

- हर गाँव से मिट्टी नमूना– मिट्टी नमूनों को संग्रहित कर 4 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराया गया।
- 9 चलंत बीज प्रसंस्करण संयंत्र चालू किये गये।
- विभिन्न फ़सलों के प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय बीजोत्पादन कार्यक्रम की योजना स्वीकृत।
- मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम बीज उत्पादन कार्यक्रम की योजना स्वीकृत।
- औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में क्वालिटी प्लान्टिंग मटेरियल नर्सरी की स्थापना।
- राज्य के किसानों को उत्तम गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर अधार और प्रमाणित बीज का उत्पादन कार्य किया जा रहा है।
- कृषि प्रक्षेत्रों पर आलू बीज उत्पादन का कार्यक्रम।
- मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत खरीफ में 1,60,530 एवं रबी में 3,31,345 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर धान, गेहूँ, चना एवं मसूर का आधार बीज उपलब्ध कराकर बीज उत्पादन कराया गया।
- बीज ग्राम योजना अन्तर्गत धान का 4,638 क्विं0 बीज 78,865 किसानों एवं गेहूँ का 26,391 क्विं0 बीज 1,34,568 किसानों के बीच आधी कीमत पर वितरित कर बीज उत्पादन कार्य कराया गया।

(xii) नए निर्माण / सुदृढ़ीकरण

- बिहार राज्य बीज निगम द्वारा 13 नये गोदाम का निर्माण।
- मीठापुर, पटना में राज्य स्तरीय कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना।
- सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में उर्वरक, कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति।
- राज्य के 338 पौधा संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।
- बागवानी फसलों के लिए 24 मॉडल नर्सरी एवं 11 लघु नर्सरी की स्थापना।
- बिहार राज्य बीज निगम द्वारा हाजीपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में नये बीज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना।

(xiii) कृषकों को विशेष सहायता / अनुदान

- खरीफ मौसम 2007 में बाढ़ / अतिवृष्टि से 14.58 लाख हे0 क्षेत्र में खड़ी फसलों का नुकसान और अप्रत्यासित क्षति को देखते हुए किसानों को 2,000 प्रति हे0, सी0आर0एफ0 एवं रू0 2,000 राजकीय कोष इस प्रकार 4,000 प्रति हे0 कृषि इनपुट अनुदान दिया गया। भारत सरकार से प्राप्त रू0 100 करोड़ के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रू0 150 करोड़ इनपुट अनुदान वितरण हेतु प्रभावित जिलों को उपलब्ध कराया गया।
- समेकित कृषि प्रणाली योजना अन्तर्गत दूसरा उद्यम अपनाने पर चयनित किसानों को रू 10,000 का अनुदान।
- विभाग द्वारा 11,914 ट्रैक्टर, 7,155 पावर टिलर, 11,827 पावर थ्रेसर / विनोअर, 37,298 स्प्रेयर / डस्टर, 28 कम्बाईन हारवेस्टर, 31,115 डीजल / इलेक्ट्रीक पम्पसेट एवं 1,06,576 मानव चालित यंत्र कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये।

(xiv) अन्य

- कोशी एवं पूर्णियां प्रमंडल के जिलों में विशेष पाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्का जूट सड़नताल निर्माण, कृषक प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज वितरण का कार्यक्रम कार्यान्वित।
- नया बाग लगाओ अभियान के तहत 11,795 हे0 क्षेत्र में नये बाग की स्थापना।
- 4,904 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना।
- 78 सामुदायिक तालाव का निर्माण।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया।
- वर्ष 2006–07 में उर्वरक खपत 142 किलोग्राम प्रति हे0 थी। वर्ष 2008–09 में 170.76 किलोग्राम प्रति हे0 उर्वरक खपत की विरूद्ध वर्ष 2009–10 में यह खपत 180 किलोग्राम प्रति हे0 हो गई।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के धान, गेहूँ एवं दलहन फसल के विभिन्न घटक कार्यक्रमों पर यथा बीज वितरण क्रमशः 52,039, 5,82,209 एवं 10,652 क्विं0 एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का अनुदान पर वितरण क्रमशः 42,336, 1,15,385 एवं 66,179 हे0 के लिए किया गया। धान एवं गेहूँ के फसल प्रत्यक्षण 17,578 एवं 36,347 हे0, मिनीकीट वितरण क्रमशः 47,693 एवं 2,06,165 संख्या में तथा धान, गेहूँ एवं दलहन फसल पर क्रमशः 743, 2,079 एवं 446 किसान पाठशाला का आयोजन किया गया।

पहली बार किये गये कार्य

1. नए कार्यक्रम / योजनाएँ

- 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि के समग्र विकास के लिए चार वर्षीय कृषि रोड मैप की रू0 3,757.12 करोड़ की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई।

- मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना की शुरूआत।
- बीज ग्राम योजना की शुरूआत।

- 'कृषि वैज्ञानिक गांव की ओर' कार्यक्रम, कृषि विकास शिविर एवं कृषि उत्सव रथ का कार्यान्वयन, जिसमें कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीकों और सरकार के कार्यक्रमों से अवगत कराया गया।

- राज्य के 16 जिलों (पo चम्पारण, पू0 चम्पारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, अररिया, पूर्णियॉ, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, पटना, नालंदा एवं गया) में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम स्वीकृत। मिशन कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु 'बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेन्ट सोसाइटी' का गठन।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल जिलों को छोड़कर अन्य 22 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम की शुरूआत।
- किसान सम्मान योजना प्रारम्भ। प्रखंड स्तर पर चयनित कृषकों को 'किसान श्री', जिलों के कृषकों को 'किसान भूषण' एवं राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान को 'किसान रत्न' सम्मान से अलंकृत किया गया।
- 'नया बाग लगाओ अभियान' अन्तर्गत सभी प्रखंडों में त्रिदिवसीय कैम्प आयोजित कर आवेदन प्राप्त किये गये। जिससे आम, लीची, अमरूद, केला तथा आंवला के पौधा रोपण का 10,018 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार।
- कृषक क्षेत्र पाठशाला (फार्मर्स फील्ड स्कूल) की स्थापना जिसमें कृषि वैज्ञानिक / पदाधिकारी, कृषकों को चयनित खेत में पूरे फसल अवधि में हर सप्ताह नवीनतम तकनीक की जानकारी देते हैं।

- मांग आधारित पावर टिलर योजना की शुरूआत।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू।

- सभी जिला मुख्यालय में कृषि उपादान मेला आयोजित किया गया। इस मेले में किसानों को अनुदानित दर पर बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व

तथा जैविक कीटनाशी आदि उपलब्ध कराये गये।

- मांग आधारित वर्मी कम्पोस्ट योजना की शुरूआत।
- जैव उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए एजेटोवेक्टर, पी0एस0बी0, नील हरित शैवाल, माइकोराइजा एवं राइजोबियम को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरूआत।

- मांग आधारित स्प्रींकलर सिंचाई की योजना की शुरूआत।
- पाँच वर्षों में फलों के 1 करोड़ गुणवता वाले पौधा रोपन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बागवानी विकास योजना की शुरूआत की गयी।

- एशियन विकास बैंक की सहायता से विघटित बाजार समितियों के बाजार प्रांगन के विकास योजना की शुरूआत।

2. नए स्थापित संस्थाएँ / सुदृढ़ीकरण

- राज्य किसान आयोग का गठन।
- राज्य के 10 जिलों (लखीसराय, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, सुपौल, गोपालगंज, पू0 चम्पारण एवं किशनगंज) में ''कृषि विज्ञान केन्द्र'' स्थापित।
- राज्य के सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) का गठन।
- बंद पड़े बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित किया गया। निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम की शुरूआत की गयी।

- वर्षों से परती पड़े सभी राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीजोत्पादन कार्य की शुरूआत।
- जिला स्तर पर 16 नए मिट्टी जॉच प्रयोगशाला की स्थापना। 13 मिट्टी जॉच प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण। 3 मिट्टी जॉच प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेशण की सुविधा प्रदान। प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंडों में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय।

- बिहार फल सब्जी विकास निगम की हाजीपुर स्थित परिरक्षण इकाई को पुनर्जीवित करने का निर्णय।

- सभी प्रखंडों में ई0 किसान भवन स्थापित करने का निर्णय।

3. कृषकों को विशेष सहायता

- वर्ष 2006–07 से विपरीत स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति। खरीफ, 2009 में प्रमुख फसल धान का बिचड़ा बचाने हेतु रू0 15 प्रति लीटर की दर से 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दो सिंचाई हेतु रू0 300/– अनुदान स्वीकृत।

- वर्ष 2009 में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए खरीफ की खड़ी फसलों को बचाने हेतु सुखाड़ग्रस्त घोषित 26 जिलों में 4 सिंचाई के लिए एवं शेष जिले के किसानों को 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया गया।
- वर्ष 2010 में खरीफ फसलों को सुखाड़ की स्थिति में डीजल पंपसेट से पटवन हेतु प्रति एकड़ / प्रति कृषक, 20 रू. प्रति लीटर की दर से 400 रू. का अनुदान दिया जा रहा है । इसके लिए सरकार 605 करोड़ व्यय करेगी ।

- राज्य सरकार द्वारा डीजल चालित नलकूप से रबी फसलों के सिंचाई के लिए रू0 318.96 करोड़ अनुदान की स्वीकृति। डीजल क्रय करने पर कृषकों को प्रति एकड प्रति सिंचाई की दर से 3 सिंचाई के लिए अधिकतम रू0 450 प्रति एकड़ अनुदान अनुमान्य।
- कृषि यांत्रिकरण में केन्द्र चयनित योजना अन्तर्गत पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति। इसके अतिरिक्त राज्य के किसानों को पावर टिलर उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना अन्तर्गत भी 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत। इस योजना के अन्तर्गत प्रति कृषक/ प्रति पावर टीलर रू 60,000 अनुदान।
- आलू एवं प्याज फसल पर किसानों की अभिरूचि बनाये रखने के उद्देश्य से 2009 वर्ष में फसल उत्पादक किसानों को रू 1,000 प्रति एकड़ की दर अनुदान उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत।

- सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने वाले किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान देने की निर्णय।
- जैव उर्वरक के व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध अनुदान 50 प्रतिशत को बढ़ाकर 90 प्रतिशत अनुदान किया गया।
- सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान दर को बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया।
- धान, गेहूँ के प्रमाणित बीज पर अनुदान को 5 रूपये प्रति किलो से बढ़ाकर 7 रूपये प्रति किलो तथा दलहन, तेलहन एवं मक्का के बीज पर अनुदान को 12 रूपये प्रति किलो से बढ़ाकर 20 रूपये प्रति किलो किया गया।

- मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं अन्य बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किसान को सीडबीन पर अनुदान की स्वीकृति।
- सीडबीन पर अनुदान को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया।
- रबी मक्का फसल में दाना नहीं लगने की स्थिति में प्रभावित किसानों को आगामी फसल लगाने के लिए रू0 10,000 प्रति हे0 की दर से अनुदान देने की योजना स्वीकृत।

- किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की स्वीकृति का कार्यक्रम।

4. कृषि शोध एवं शिक्षा

- 'राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय' एवं 'आइवा राज्य विश्वविद्यालय' (संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच एकेडमिक समझौता।
- कोशी क्षेत्र में कृषि शिक्षा एवं कृषि को बढ़ावा देने के लिए 'मंडल भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा' की स्वीकृति।
- बागवानी को महत्व देते हुए इसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नालंदा जिला के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना।
- पूर्णियाँ में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति।
- शाहाबाद क्षेत्र में कृषि शिक्षा एवं कृषि को बढ़ावा देने के लिए डुमराँव, जिला–बक्सर में कृषि

महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति।

- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की स्थापना की गई।
- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने हेतु पहल किया गया।
- राज्य में 'बोरलॉग इन्स्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया' की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से समन्वय एवं पहल किया गया।

5. नियुक्तियाँ

- पंचायत स्तर पर पदस्थापन हेतु 4062 विषय वस्तु विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।
- पंचायत स्तर पर 8,463 किसान सलाहकार की चयन की प्रक्रिया जारी है।

Printed by : Maa Kali Printers, # 9835096373, 9334742770

संकलन एवं प्रकाशन :

उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना

दूरभाष : 0612–2928402, 9431818718

ई–मेल : infoagri.bihar@gmail.com, infoagri-bih@nic.in

वेबसाईट – www.krishi.bih.nic.in